

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1389.89	740.44	2130.33	1530.53	1198.21	2728.74	1623.67	1266.45	2890.12	1749.56	1202.93	2952.49
<i>वसूलियां</i>	-0.73	-62.04	-62.77	...	-130.00	-130.00	...	-100.00	-100.00	...	-125.00	-125.00
<i>प्राप्तियां</i>	-379.86	...	-379.86	-380.00	...	-380.00	-395.00	...	-395.00	-450.00	...	-450.00
निवल	1009.30	678.40	1687.70	1150.53	1068.21	2218.74	1228.67	1166.45	2395.12	1299.56	1077.93	2377.49
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	51.49	...	51.49	77.75	2.25	80.00	63.07	5.95	69.02	77.33	2.17	79.50
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. अनुसंधान एवं विकास (पत्तन)	1.00	...	1.00	1.03	...	1.03	1.03	...	1.03	1.51	...	1.51
सागरमाला												
3. सागरमाला												
3.01 सागरमाला योजनाएं और परियोजनाएं	388.10	24.21	412.31	320.00	40.00	360.00	395.88	40.00	435.88	660.00	40.00	700.00
3.02 सागरमाला विकास कंपनी	...	100.00	100.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00
<i>जोड़- सागरमाला</i>	<i>388.10</i>	<i>124.21</i>	<i>512.31</i>	<i>320.00</i>	<i>130.00</i>	<i>450.00</i>	<i>395.88</i>	<i>130.00</i>	<i>525.88</i>	<i>660.00</i>	<i>40.00</i>	<i>700.00</i>
पोत और पोत निर्माण,												
4. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	58.04	...	58.04	112.00	...	112.00	112.00	...	112.00	100.00	...	100.00
अंतर्देशीय जल परिवहन												
5. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	4.91	...	4.91	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	452.05	124.21	576.26	448.03	130.00	578.03	513.91	130.00	643.91	766.51	40.00	806.51
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	8.75	...	8.75	10.50	...	10.50	9.00	...	9.00	9.50	...	9.50
7. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	62.46	...	62.46	87.85	...	87.85	87.85	...	87.85	98.54	...	98.54
8. कोलकाता पत्तन न्यास	175.59	...	175.59	250.10	...	250.10	269.61	...	269.61

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9. छोटे बंदरगाहों का विकास	63.52	...	63.52	69.63	...	69.63	71.73	...	71.73	70.00	...	70.00
10. भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण												
10.01 निवेश	...	544.31	544.31	...	915.96	915.96	...	1010.50	1010.50	...	1010.00	1010.00
10.02 ईवीआर के अंतर्गत ब्याज	76.33	...	76.33	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
जोड़- भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण	76.33	544.31	620.64	76.50	915.96	992.46	76.50	1010.50	1087.00	76.50	1010.00	1086.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	386.65	544.31	930.96	494.58	915.96	1410.54	514.69	1010.50	1525.19	254.54	1010.00	1264.54
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	16.16	...	16.16	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	15.00	...	15.00
अन्य												
12. नौवहन महानिदेशालय	111.35	9.94	121.29	125.17	20.00	145.17	135.00	20.00	155.00	186.18	25.76	211.94
13. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
13.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	372.19	61.98	434.17	380.00	130.00	510.00	395.00	100.00	495.00	450.00	125.00	575.00
13.02 वसूलियां	...	-62.04	-62.04	...	-130.00	-130.00	...	-100.00	-100.00	...	-125.00	-125.00
13.03 प्राप्तियां	-379.86	...	-379.86	-380.00	...	-380.00	-395.00	...	-395.00	-450.00	...	-450.00
<i>निवल</i>	<i>-7.67</i>	<i>-0.06</i>	<i>-7.73</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
14. वास्तविक वसूलियां	-0.73	...	-0.73
जोड़-अन्य	102.95	9.88	112.83	125.17	20.00	145.17	135.00	20.00	155.00	186.18	25.76	211.94
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	505.76	554.19	1059.95	624.75	935.96	1560.71	651.69	1030.50	1682.19	455.72	1035.76	1491.48
कुल जोड़	1009.30	678.40	1687.70	1150.53	1068.21	2218.74	1228.67	1166.45	2395.12	1299.56	1077.93	2377.49
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	59.21	...	59.21	112.00	...	112.00	112.00	...	112.00	104.00	...	104.00
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	628.60	...	628.60	651.26	...	651.26	747.25	...	747.25	741.01	...	741.01
3. पोत परिवहन	189.94	...	189.94	218.02	...	218.02	224.85	...	224.85	299.72	...	299.72
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	76.33	...	76.33	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50	76.50	...	76.50
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	50.31	...	50.31	77.75	...	77.75	63.07	...	63.07	73.33	...	73.33
6. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	...	124.15	124.15	...	130.00	130.00	...	130.00	130.00	...	40.00	40.00
7. पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.94	9.94	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	25.76	25.76
8. अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	544.31	544.31	...	718.96	718.96	...	770.50	770.50	...	690.00	690.00
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.25	2.25	...	5.95	5.95	...	2.17	2.17
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1004.39	678.40	1682.79	1135.53	871.21	2006.74	1223.67	926.45	2150.12	1294.56	757.93	2052.49
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4.91	...	4.91

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	197.00	197.00	...	240.00	240.00	...	320.00	320.00
जोड़-अन्य	4.91	...	4.91	15.00	197.00	212.00	5.00	240.00	245.00	5.00	320.00	325.00
कुल जोड़	1009.30	678.40	1687.70	1150.53	1068.21	2218.74	1228.67	1166.45	2395.12	1299.56	1077.93	2377.49

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
ऋण सहकारी समितियों को उधार												
1. कोचीन पत्तन न्यास	...	15.22	15.22	...	14.74	14.74	...	13.45	13.45	...	77.55	77.55
2. पाराद्वीप पत्तन न्यास	...	162.51	162.51	...	183.55	183.55	...	183.14	183.14	...	250.35	250.35
3. वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास	...	55.86	55.86	...	68.16	68.16	...	69.96	69.96	...	185.51	185.51
4. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	...	717.24	717.24	...	712.01	712.01	...	788.70	788.70	...	2034.68	2034.68
5. नव मंगलोर पत्तन न्यास	...	27.07	27.07	...	18.66	18.66	...	24.07	24.07	...	40.92	40.92
6. चेन्नई पत्तन न्यास	...	27.61	27.61	...	58.30	58.30	...	262.24	262.24	...	162.37	162.37
7. मुम्बई पत्तन न्यास	...	156.76	156.76	...	287.74	287.74	...	287.74	287.74	...	203.29	203.29
8. दीनदयाल पत्तन न्यास कांडला	...	670.99	670.99	...	931.90	931.90	...	789.72	789.72	...	1018.42	1018.42
9. मोरमुगाव पत्तन न्यास	...	34.43	34.43	...	88.12	88.12	...	165.25	165.25	...	64.67	64.67
10. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	...	197.79	197.79	...	337.69	337.69	...	276.00	276.00	...	150.00	150.00
11. कामराजर पत्तन न्यास	...	279.80	279.80	...	310.00	310.00	...	310.00	310.00	...	325.00	325.00
12. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	544.31	...	544.31	915.96	...	915.96	1010.50	...	1010.50	1010.00	...	1010.00
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	385.97	385.97	...	300.00	300.00	...	360.00	360.00	...	355.00	355.00
14. भारतीय पोत परिवहन निगम	...	475.79	475.79	...	80.00	80.00	...	615.00	615.00	...	213.00	213.00
15. स्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता	...	211.42	211.42	...	242.34	242.34	...	174.09	174.09	...	137.31	137.31
16. सागरमाला विकास कंपनी	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
जोड़-ऋण सहकारी समितियों को उधार	644.31	3418.46	4062.77	1005.96	3633.21	4639.17	1100.50	4319.36	5419.86	1010.00	5218.07	6228.07
जोड़	644.31	3418.46	4062.77	1005.96	3633.21	4639.17	1100.50	4319.36	5419.86	1010.00	5218.07	6228.07

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।

2. **अनुसंधान एवं विकास (पत्तन):** यह प्रावधान पोत प्रावधान के अंतर्गत अनुसंधान और विकास योजनाओं पर व्यय के लिए है।

3. **सागरमाला:** यह प्रावधान तटीय समुदाय के विकास, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास, समुद्र / राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो / यात्रियों की आवाजाही के संवर्धन हेतु अवसंरचना के लिए सहायता, अनूठी नवाचार परियोजनाओं के वित्तपोषण की सहायता के लिए है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत चिन्हित इस परियोजनाओं से अवसंरचना के निवेश में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटने, मॉडल मिशन में घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) का हिस्सा दोगुना होने, लॉजिस्टिक कोस्ट सेविंग होने, माल निर्यात को बढ़ावा मिलने और नई नौकरियां सृजन होने की उम्मीद है। इसमें छोटे बंदरगाहों के विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
4. **पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
5. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूआई की परियोजनाओं के लिए है।
6. **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख पत्तनों आदि के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।
7. **भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय:** इसमें इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) को सहायता अनुदान वेतन शामिल है। इसमें आईएमयू के अवसंरचना के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान भी शामिल है।
8. **कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल और हुगली नदी में रखरखाव और ड्रेजिंग के लिए सक्सिडी के भुगतान के लिए है।
9. **छोटे बंदरगाहों का विकास:** इसमें अंडमान और लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लिए सहायता शामिल है, जो इस मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
10. **भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण:** यह प्रावधान आईडब्ल्यूआई में निवेश के लिए है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) का गठन अक्टूबर, 1986 में नौवहन और नौचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। आईडब्ल्यूआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के अवसंरचना के विकास और विनियमन का कार्य करता है। एनडब्ल्यू में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रावधान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) की ईएपी परियोजनाओं पर व्यय शामिल है जिसमें जेएमवीपी के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं का कार्यान्वयन और कमीशनिंग शामिल है। इसमें शामिल हैं: (i) एमएमटी, वाराणसी का निर्माण; (ii) एमएमटी, साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नए नेविगेशन लॉक का निर्माण; (iv) एमएमटी, हल्दिया का निर्माण; (v) वाराणसी-गाजीपुर के बीच 2.2 मीटर, गाजीपुर-बार्ह के बीच 2.5 मीटर और बार्ह-हल्दिया के बीच 3.0 मीटर की सुनिश्चित गहराई; (vi) रो-रो टर्मिनलों का विकास; (vii) आरआईएस और डीजीपीएस सहित सूचना और संचार सुविधाएं; और अन्य सहायक घटक।
11. **शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:** यह प्रावधान भारत और अन्य देशों के बीच समुद्र के द्वारा कार्गो और यात्री सेवाओं की स्थापना के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

12. **नौवहन महानिदेशालय:** यह प्रावधान शिपिंग महानिदेशालय के स्थापना व्यय के लिए है, जो मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह मर्चेन्ट शिपिंग कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियामक कार्य करता है। निदेशालय नाविकों का कल्याण भी देख रहा है। यह प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी सहित समुद्री आपात कोष और डीजी शिपिंग ऑनलाइन परीक्षा व्यय के प्रशासन के लिए भी है।

13. **दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय:** दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन, सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो नौवहन सहायता प्रदान करता है, जैसे कि प्रकाश जलयान, ध्वनि संकेत, बॉय, रेडियो बीकन इत्यादि। यह दीपस्तंभ के निर्माण और रखरखाव और पोतों के मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। पूंजी प्रावधान दीपस्तंभों और अन्य नौवहन सहायता के निर्माण और विकास के लिए है। यह भारतीय दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार एकर किए गए प्रकाश शुल्क से पूरा किया जाता है। यह व्यय वसूली और प्राप्तियों से किया जाता है।